न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–विनोद कुमार मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

प्रकरण संख्या:–43/दावा/2022

1. बन्शीलाल आ0 जगन्नाथ जाति नाई निवासी सुहरी तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज.)

वादीगण

बनाम

1. राज. राज्य जर्ये तहसीलदार साहब एवं आंवटन सलाहकार समिति हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

प्रतिवादी

दावा पत्र अंतर्गत :– धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक :– 23/08/2024

निर्णय

दावा पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी गण ने दावा पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0टी0एक्ट प्रस्तुत कर अंकन किया कि खतोनी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 476 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सुहरी पटवार क्षेत्र बडगांव भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज. विस्थित है जो आंवटन समिति द्वारा दिनांक 30.04.1993 को कृषि प्रयोजनार्थ हेतु वादी के नाम आंवटित की थी। दिनांक 11.01.1994 से वादी कब्जा संभला दिया था। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में अमल दरामद नहीं होने से वर्तमान में भी उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। वादी का उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज होने से कृषि पर सराकारी योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तथा वादी ही उक्त भूमि पर निरन्तर फसल हर सालों साल बोता एवं काटता निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादी ने उक्त भूमि काफी रकत खर्च कर उबड खाबड एवं नोतोड से आबाद कृषि योग्य बनाया तथा आंवटन भूमि को राज्य सरकार को शुल्क अदा कर चुका है लेकिन फिर भी उक्त भूमि की नियमानुसार लगान एवं किमत बकाया निकलती है तो वादी अदा करने को तैयार है। वादी ने उक्त भूमि पर इस वर्ष रबी की फसल से उडद की फसल बोई एवं काटी है। उक्त भूमि से अन्य का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। वादी अत्यन्त गरीब काश्तकार है जिस पर मय परिवार आश्रित है तथा वादी के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्त्रोत नहीं है। वादी की उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज होने से संयोग से विधि के अनुरूप भूमि का उपयोग, उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा सरकारी योजना के लाभ से भी वंचित है जबकि वादी का चिरकाल से उक्त भूमि पर कब्जा होने से वादी कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने कई बार राजस्व अधिकारियों को लिखित एवं मौखिक निवेदन कर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार अमल दरामद करने का अनुरोध किया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

लेकिन कोई सुनवाई नही हुई एवं दिनांक 01.04.2022 को तहसीलदार साहब हिण्डोली को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया तथा पटवारी साहब से मिला तो पटवारी साहब ने न्यायालय से आदेश लाने के उपरान्त ही रिकॉर्ड में खातेदारी का अमल दरामद करने को कहा तथा धमकी दी कि शीघ्र न्यायालय से आदेश नहीं लाये तो उक्त भूमि से बेदखल कर दिए जायेगे। इसलिए यही वादोत्पत्ति का कारण है जो लगातार हो रहा है एवं वादीगण के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ विधिवत रूप से वाद लाने से पहले 2 माह का बाद नोटिस ही वाद पेश किया जाना आवश्यक है लेकिन वादी का वाद अत्यावश्यक प्रकृति का होने से बाद नोटिस दावा पेश करने का इन्तजार किया गया तो उक्त भूमि से बेदखल किया जा सकेगा। जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद पेश करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा एवं वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जावेगा इसलिए धारा 80(2) जा0दी0 का पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बाद अर्ज अनुमति ही श्रीमान को वाद पेश किया जा रहा है। वादी की उक्त भूमि न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त वाद के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। वादी का उक्त वाद पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबी तलबाने पर श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादी निम्न आशय की स्थायी निषेधाज्ञा एवं अधिकार घोषणा की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द किया जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम सुहरी पटवार मण्डल बडगांव के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में वादी को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में विर्णत भूमि या उसके किसी हिस्से से वादी को बेदखल नहीं करे एवं उनके कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा उन्हे फसल बोने जाने, काटने से नहीं रोके ऐसा प्रतिवादी न स्वयं करे न ही अन्यों से करावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को प्रतिवादी से दिलवाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/पेरोकार सरकार को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी/पेरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 वाद वादी स्वयं सिद्व करे। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 वादी स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 वादी स्वयं सिद्व करें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 वादी अतिकमी की हैसियत से काबिज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 व 7 जानकारी के अभाव में अस्वीकार होना अंकित किया साथ ही अंकित किया कि वादी को दिनांक 30.04.1993 को आंवटन होना आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति अनुसार वादी को खसरा नम्बर 476 में 5 बीघा आंवटन होना अभिलिखित है। रिपोर्ट पटवारी अनुसार सिवायचक खसरा संख्या 476 में बंशीलाल 5 बीघा काबिज काश्त है। यदि वादी को आंवटन हुआ है एवं आंवटन शर्तो की पालना में राजकीय राशि आदि जमा करा दी गई हो तो वाद स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है।

प्रकरण में प्रस्तुत वाद व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1. आया वादग्रस्त आराजी का आंवटन वादी को विधिवत हुआ था एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

भार वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

भार वादी

वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पी0डब्लू0–1, रमेश ब्राहम्ण पी0डब्लू0–2 व मेघराज नाई पी0डबलू–3 पेश किये है साथ ही प्रमाणित प्रति आंवटन आदेश दिनांक 30.04.1993 व जमाबंदी खाता संख्या 1 खसरा संख्या 476 सम्वत 2076 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2078 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक दिनांक 18.04.2022 की असल प्रति पेश किये है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। वकील वादी बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 476 रकबा 5 बीघा दिनांक 30.04.1993 को ग्राम सूहरी वादी को विधिवत आंवटन हुई है। उक्त भूमि वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज होने से वादी को सरकार द्वारा मिलने वाली कृषि योग्य सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है जबकि वादी ने उक्त भूमि को आंवटन से वर्षो पहले काफी रकम खर्च कर नातोड से आबाद कर कृषि योग्य भूमि बनाकर निरन्तर काबिज काष्त चला आ रहा है। उक्त भूमि की एवज में नियमानुसार शुल्क वादी अदा कर चुका है फिर भी यदि भूमि की लागत निकलती है तो वादी जमा करवाने को तैयार है। वादी अत्यन्त गरीब काश्तकार है। जोत भूमि पर काश्त कर अपना व अपना परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी उक्त भूमि का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार बन चुका है। राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम खातेदार के रूप में कानूनी रूप से दर्ज करवाने का अधिकारी है। यदि प्रतिवादी द्वारा वादी कों उक्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका प्रतिवादी को कोई हक व अधिकार नही। अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को खातेदार के रूप में अंकित किया जावें एवं प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वादी को बेदखल नही करे व कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप नही करें।

प्रकरण में वकील वादी द्वारा की गई बहस के दौरान प्रस्तुत सम्पूर्ण तर्को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों/साक्ष्यों का अवलोकन कर गहनता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में तनकीवार विवेचन इस प्रकार है–

तनकी संख्या –1

आया वादग्रस्त आराजी का आंवटन वादी को विधिवत हुआ था एवं उक्त वादग्रस्त आराजी पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश की प्रमाणित प्रति के सम्बन्ध में कार्यालय रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट दिनांक 30.04.1993 को वादी बंशीलाल आ0 जगन्नाथ जाति नाई निवासी सूहरी को ग्राम सूहरी के खसरा नम्बर 476 में रकबा 5 बीघा भूमि का आंवटन हुआ था। उक्त आंवटित भूमि पर कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
...ण्डोली

बत खसरा गिरदावरी सम्वत 2078 में भूमि पर काश्त करना अंकित है साथ ही खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2078 से वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा काश्त करना अंकित है साथ ही वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2, पी0डब्लू0–3 में अंकित तथ्यों से भी भूमि वादी को आंवटन होकर भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त होना अंकित है। साथ ही मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/जवाब सरकार से विवादित भूमि पर वादी का अतिकमी की हैसियत से कब्जा काश्त होना अंकित है एवं आंवटन खारिज नही होना भी अंकित है। उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों से विवादित भूमि वादी को विधिवत आंवटन होना व लगातार कब्जा काश्त होने व आंवटन शर्तो की पालना करने से स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–2

आया वादग्रस्त आराजी पर वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्त तनकी के सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत आंवटन आदेश जिसके आधार पर उसने अधिकार घोषणा चाही है वह आंवटन मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के खारिज नही हुआ है। वादी आंवटन भूमि पर आंवटन के समय से ही काबिज काश्त चला आ रहा है एवं आंवटन शर्तो की पालना करने से वह प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 वादी के पक्ष निर्णित की जा चुकी है जिससे भी वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा संख्या 476 में से रकबा 5 बीघा वाके ग्राम सूहरी, पटवार मण्डल बडगांव जो कि वादी को आंवटित हुई है, पर वादी बंशीलाल आ0 जगन्नाथ जाति नाई निवासी सूहरी को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी की ओर यदि भूमि बाबत कोई राजकीय राशि बकाया हो तो जमा करने के उपरान्त राजस्व रिकोर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (राज.)